

6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in



सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

6th Mile, Samdur, Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नेक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

Ref. No: SU/REG/F-2/33/2018/VoI-1/563

Date: 18th July 2019

NOTIFICATION - 76 /2019

Subject: **Addition to the guidelines for grant of lien to the employees of the Sikkim University**

The Executive Council in its 32nd meeting held on 8th February 2019 approved guidelines for grant of lien to the employees of Sikkim University which were notified vide notification 49/2019 dated 6th March 2019.

The Executive Council in its 33rd meeting held of 28th June 2019 approved the recommendations of the committee constituted to look into the aspect of lien for movement of employees of the University to inter-governmental organizations and international institutions. Accordingly, the following line is added to clause i(a) of the guidelines issued vide notification 49/2019 after the words "either Central or State".

"This also includes institutions and organizations located in India jointly funded by Government of India and Governments of other countries".

Other clauses of the guidelines issued vide notification 49/2019 remain unchanged.

Distribution:

1. PS to VC for kind information of the Vice-Chancellor
2. PS to Registrar
3. Finance Officer
4. Controller of Examination
5. Librarian
6. All Deans of Schools of Studies
7. Dean, Students' Welfare
8. All Heads/In-charge(s) of the Departments
9. All employees of the University- circulation by email
10. Joint Registrar (Estt.)
11. System Analyst for necessary upload in the website
12. Office Copy
13. Guard file

Tegh Kaul
(T.K.Kaul)
REGISTRAR
कुलसचिव
Registrar
सिक्किम विश्वविद्यालय
Sikkim University



संदर्भ सं : SU/REG/F-2/33/2018/Vol-I/.....⁵⁶³

दिनांक : 18 जुलाई 2019

अधिसूचना - 96 /2019

विषय : सिक्किम विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को लिऐन प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देशों में जोड़ना

दिनांक 8 फरवरी 2019 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 32वीं बैठक में सिक्किम विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को लिऐन प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देशों को अनुमोदित किया गया है, जिसे दिनांक 6 मार्च 2019 को अधिसूचना सं 49/2019 द्वारा अधिसूचित की गयी थी।

दिनांक 28 जून 2019 को आयोजित 33वीं बैठक में कार्यकारिणी परिषद ने विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के अंतर-सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में जाने के लिए लिऐन के पहलुओं की जांच करने के लिए गठित समिति की सिफारिशों को अनुमोदित किया है। तदनुसार, अधिसूचना 49/2019 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की धारा i (क) में "या तो केंद्रीय अथवा राज्य" शब्दों के बाद निम्न पंक्ति को जोड़ा जाता है :

"इसमें भारत सरकार और अन्य देशों की सरकारों के संयुक्त रूप से वित्त पोषित भारत में स्थित संस्थान और संगठन भी शामिल हैं"।

अधिसूचना 49/2019 जारी किए गए दिशानिर्देशों के अन्य खंड अपरिवर्तित रहेंगे।

वितरण :

1. कुलपति के सूचनार्थ कुलपति के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सचिव
3. वित्त अधिकारी
4. परीक्षा नियंत्रक
5. पुस्तकालयाध्यक्ष
6. सभी अध्ययन विद्यापीठों के डीन
7. डीन, छात्र कल्याण
8. सभी विभागों के अध्यक्ष/प्रभारी
9. विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी - ईमेल द्वारा प्रेषण
10. संयुक्त कुलसचिव (स्थापना)
11. सिस्टम एनालिस्ट - वेबसाइट में आवश्यक अपलोड करने हेतु
12. कार्यालय प्रति
13. सुरक्षा फाइल

तेज कृष्ण कौल
(टी.के.कौल)

कुलसचिव

कुलसचिव

Registrar

सिक्किम विश्वविद्यालय

Sikkim University